राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4321/2024

चैन सिंह शेखावत

–अपीलार्थी

बनाम

1. अति.मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक, धौलपुर।
3. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पाटीकापुरा, सैपऊ, जिला धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :– 08.01.2025

समक्ष :–अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री उम्मेद सिंह तंवर उपस्थित।

2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–तृतीय, लेवल–2, सामाजिक विज्ञान के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पाटी का पुरा, ब्लॉक सैपउ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश 18.12.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ब्लॉक बसेड़ी में स्थानांतरण किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का एक ब्लॉक से अन्य ब्लॉक में स्थानांतरण किया गया है। आलोच्य आदेश के द्वारा वर्तमान ब्लॉक में पद रिक्त होने के बावजूद अन्य ब्लॉक में अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग की नीतियों के अनुरूप उसी ब्लॉक में रिक्त पद होने पर कार्मिक को उसी ब्लॉक में समायोजित किया जाएगा, परंतु अपीलार्थी को अधिशेष होना मानते हुए उसी ब्लॉक में पदस्थापित न कर अन्य ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है, जो नियम विरूद्व है।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया।

5. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से एक सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18.12.2024 (अनुलग्नक–4) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
6. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)